भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3830
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वायनाड की जनजातीय बस्तियों में कनेक्टिविटी

3830. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय बस्तियों तक कनेक्टिविटी में सुधार हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) के अंतर्गत प्रस्तावित संपर्क विहीन जनजातीय बस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सभी जनजातीय बस्तियों तक शत-प्रतिशत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आकांक्षी जिलों के लिए जनसंख्या मानदंड में ढील देने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को वर्ष 2000 में एकबारगी विशेष योजना के रूप में देश में सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद, ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए पीएमजीएसवाई-II और स्कूलों, ग्रामीण कृषि बजारों और अस्पतालों को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई-III शुरू की गई।

वायनाड जिले में पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 203 किलोमीटर लंबी कुल 54 सड़कों का निर्माण किया गया है। इस मंत्रालय में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची-V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, मरूस्थलीय क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी लगभग 25,000 बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर बारहमासी सड़कों (एकल लेन) के निर्माण हेतु पीएमजीएसवाई-IV का शुभारंभ किया गया। जनसंख्या पात्रता मानदंडों के अनुसार सड़क संपर्क रहित पात्र

बसावटों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। पीएमजीएसवाई चरण-IV का कार्यान्वयन 2024-2025 से 2028-2029 तक किया जाएगा। केंद्र सरकार पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत केरल सहित अन्य राज्यों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ घनिष्ठ समन्वय से काम कर रही है।

पीएम-जनमन के अंतर्गत, सड़कों से न जुड़ी 3 बसावटों जिनमें से 2 वायनाड जिले में और 1 केरल के पलक्कड़ जिले में है, को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 3.48 किलोमीटर लंबाई के 3 सड़क प्रस्तावों पर चर्चा करने हेतु पूर्व-अधिकार प्राप्त समिति की बैठक 24 अप्रैल, 2025 को आयोजित की जा चुकी है।

राज्य ने सूचित किया है कि पीएमजीएसवाई-IV सर्वेक्षण के दौरान वायनाड जिले में कई जनजातीय बसावटों की सड़कों से न जुड़ी बसावटों के रूप में अस्थायी रूप से पहचान की गई है। पीएमजीएसवाई-IV के दिशानिर्देशों के अनुसार, सड़कों से नहीं जुड़ी बसावटों के लिए नई सड़क के प्रस्तावों को जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त सुझावों और कार्यक्रम दिशानिर्देशों पर भी विचार किया जाएगा। अनुमोदित व्यापक नई सड़क संपर्क प्राथमिकता सूची के अनुसार प्रस्तावों को राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) के समक्ष रखा जाता है, जो केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए विचार करने हेतु बसावटों की सिफारिश करती है। पीएमजीएसवाई-IV के तहत मंजूरी देने के लिए केरल राज्य सरकार से दिनांक 08.08.2025 तक कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) पीएमजीएसवाई IV के अंतर्गत आकांक्षी जिलों को जनसंख्या मानदंड में छूट देने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

***